

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 16

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
	422.34	30.38	452.72	422.34	32.38	454.72	431.10	32.66	463.76	
	47.66	...	47.66	47.66	...	47.66	38.90	...	38.90	
	470.00	30.38	500.38	470.00	32.38	502.38	470.00	32.66	502.66	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग	3451	10.24	16.43	26.67	10.24	16.43	26.67	10.50	17.46	27.96
2. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	3451	143.92	...	143.92	143.92	...	143.92	138.80	...	138.80
	5475	31.10	...	31.10	31.10	...	31.10	26.90	...	26.90
	जोड़	175.02	...	175.02	175.02	...	175.02	165.70	...	165.70
3. प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं	2852	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	6.00	...	6.00
	7425	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
4. रोबोटिक्स सहित औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स संवर्धन कार्यक्रम	जोड़	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
	2852	2.75	...	2.75	2.75	...	2.75	2.50	...	2.50
	7425	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75
	जोड़	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	2.50	...	2.50
5. सेमी-कंडक्टर काम्प्लेक्स लि.	2852	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	6.00	...	6.00
6. इलेक्ट्रॉनिकी संघटक और सामग्री विकास कार्यक्रम	2852	5.10	0.60	5.70	5.10	0.60	5.70	5.50	0.60	6.10
7. सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी और नैनो-प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम-एन.एम.सी.	2852	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	3.00	...	3.00
	7425	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
	जोड़	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
8. उन्नत परिकलन विकास केन्द्र (सीडीएसी)	2852	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	25.50	3.00	28.50
9. अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर)	2852	12.00	3.00	15.00	12.00	3.00	15.00	13.00	3.00	16.00
10. मानकीकरण गतिविधि कार्यक्रम	2852	20.00	4.30	24.30	20.00	4.30	24.30	22.00	4.30	26.30
	4859	7.31	...	7.31	7.31	...	7.31	7.50	...	7.50
	जोड़	27.31	4.30	31.61	27.31	4.30	31.61	29.50	4.30	33.80
11. इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र	2852	4.00	1.70	5.70	4.00	1.70	5.70
12. एएसआईसी डिजाइन हेतु विशेष जनशक्ति	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.50	...	3.50
13. इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान और विकास केन्द्र	2852	8.00	3.00	11.00	8.00	3.00	11.00
14. साफ्टवेयर निर्यात के लिए जनशक्ति विकास	2852	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
15. फोटोनिक/ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी	2852	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	3.00	...	3.00
	7425	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
16. परिवहन और विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी	2852	4.60	...	4.60	4.60	...	4.60	3.50	...	3.50
17. महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
	7425	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
18. शैक्षणिक अनुसंधान नेटवर्क	2852	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	6.00	...	6.00
19. ग्रामीण/सामाजिक/कृषि/जल क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स	2852	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	1.00	...	1.00
	4859	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
	जोड़	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	1.00	...	1.00
20. स्वास्थ्य और बायो-इन्फोमेटिक्स में इलेक्ट्रॉनिकी	2852	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
21. तरल क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र	2852	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70
22. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित रोजगार सृजन	2852	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
23. ईएससी और निर्यात बाजार विकास कार्यक्रम	2852	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	7.00	...	7.00
24. अन्य कार्यक्रम										
24.01 इलेक्ट्रॉनिकी में प्रदर्शनी	2250	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.70	0.70
24.02 विदेशी व्यापार	3453	...	0.50	0.50	...	2.50	2.50	...	1.60	1.60
24.03 आई.पी.आर. संवर्धन कार्यक्रम	2852	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	1.00	...	1.00
24.04 अन्य स्कीमों	2852	5.85	0.25	6.10	5.85	0.25	6.10	1.70	0.30	2.00
	जोड़	6.25	1.35	7.60	6.25	3.35	9.60	2.70	2.60	5.30
25. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल घटाइए - कार्यकारी मुख्य शीर्ष को अन्तरण	3606	...	2.33	2.33	...	2.33	2.33	...	2.50	2.50
निवृत्त - सहायता सामग्री और उपस्कर	3606	...	-2.33	-2.33	...	-2.33	-2.33	...	-2.50	-2.50
	

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	42.50	...	42.50	
	4552	4.50	...	4.50	
	जोड़	47.00	...	47.00	
27. सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसीए)	2852	15.00	...	15.00	18.00	...	18.00	
	4859	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	
	जोड़	20.00	...	20.00	23.00	...	23.00	
28. इलेक्ट्रॉनिक्स अभिशासन	2852	41.17	...	41.17	41.17	...	41.17	...	36.50	
29. भारतीय भाषा हेतु प्रौद्योगिकी विकास	2852	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	...	6.00	
30. ई-कामर्स एवं इन्फो-सुरक्षा (स्मार्ट कार्ड सहित)	2852	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	10.00	
31. सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक/प्रमाणन और नेटवर्क सुरक्षा	2852	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	6.00	
32. साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस इंडिया एंड ई एच टी पी	2852	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	...	6.00	
33. मीडिया लैब एशिया	2852	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10	
34. जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (सिटीजन पोर्टल्स सहित)	2852	20.00	...	20.00	18.00	...	18.00	...	16.00	
35. संवर्धन/सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास/विशेष सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं	2852	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	...	16.00	
36. विद्या वाहिनी एवं ज्ञान वाहिनी कार्यक्रम	2852	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	...	5.00	
37. सूचना प्रौद्योगिकी उपक्रम पूंजी	2852	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	...	5.00	
38. डीओईएसीसी	2852	5.00	1.70	6.70	
39. डिजीटल डी एन ए पार्क	2852	3.50	...	3.50	
कुल-जोड़	470.00	30.38	500.38	470.00	32.38	502.38	470.00	32.66	502.66	
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. सेमिकन्डक्टर काम्प्लेक्स लि.	12859	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	4.50	4.50
2. अन्य संस्थाएं/निकाय	12859	...	120.08	120.08	...	120.08	120.08	...	102.95	102.95
एन.सी.एस.टी/समीर/एसईपीपी/सी-डैक आदि	जोड़	...	123.58	123.58	...	123.58	123.58	...	107.45	107.45
ग. आयोजना परिव्यय :-										
1. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग	12859	311.79	123.58	435.37	311.79	123.58	435.37	320.70	107.45	428.15
2. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	154.16	...	154.16	154.16	...	154.16	149.30	...	149.30
3. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	4.05	...	4.05	4.05	...	4.05
जोड़	470.00	123.58	593.58	470.00	123.58	593.58	470.00	107.45	577.45	

1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं: इसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी): ई-प्रशासन, निर्णय सहायता के लिए सरकार तथा सरकारी क्षेत्र में सूचना संबंधी विकास तथा नेटवर्किंग के लिए एक नोडल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन है। इन्फार्मेटिक्स विकास में अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी विकास तथा सेवाएं शामिल हैं। यह देश में केन्द्र सरकार के विभागों, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ जिला प्रशासन हेतु नेटवर्क आधार तथा ई-गवर्नेंस की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

3. प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं (टी.डी.सी.): इस कार्यक्रम का लक्ष्य कम्प्यूटर और कम्प्यूटर संचार, नियंत्रण और उपकरण विकास, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्रों में अनुसंधान, डिजाइन, विकास और अभियांत्रिकी का संवर्धित करना तथा उसे सहायता प्रदान करना है।

4. रोबोटिक्स सहित औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी संवर्धन कार्यक्रम (आई.ई.पी.पी.): इस कार्यक्रम का लक्ष्य औद्योगिक स्वचालन और प्रशिक्षण विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ लागू करने के माध्यम से देश में प्रणाली-इंजीनियरी संस्कृति का संवर्धन करना है।

5. सेमी कंडक्टर काम्प्लेक्स लि. (एस.सी.एल.): एस सी एल का उद्देश्य महत्वपूर्ण संगठन विशेषतः उनके मिशन से जुड़ी परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करना है। अभिज्ञात खास क्षेत्रों जैसे दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर्स, स्मार्ट कार्ड्स आदि में उत्पादों को लक्षित करने वाली प्रौद्योगिकियों को डिजाइन तथा विकसित करना।

6. इलेक्ट्रॉनिकी, कम्पोनेंट एवं सामग्री विकास कार्यक्रम (ई.एम.डी.पी.): इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियों के लिए एक सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास/ प्रौद्योगिकी आधार विकसित करना और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा उद्योग में महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकता वाली इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियों के लिए लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता करना है।

7. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और नेनो-टेक्नोलॉजी विकास कार्यक्रम (एन.एम.सी.): इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में जनशक्ति, शैक्षिक संस्थाओं की आर एंड डी प्रयोगशालाओं और उद्योग में आर एंड डी और प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए मजबूत आधार बनाना है और स्वेदशी इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए प्रयोग विशिष्ट एकीकृत सर्किटों (ए एस आई सी) के उपयोगों का संवर्धन करना व प्रचुरोद्भवन करना है।

8. उन्नत संगणन का विकास केन्द्र (सी.डी.ए.सी.): यह संगणन और संचार तथा उससे उत्पन्न अनुप्रयोग के क्षेत्र में विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक सोसायटी है।

9. अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी और अनुसंधान सोसायटी (एसएएमईआर): यह सूक्ष्मतरंग, मिलिमीटर वेव और विद्युत चुम्बकीय के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इन प्रौद्योगिकियों के लिए अनुप्रयोग विकसित करने के विशिष्ट लक्ष्य सहित कार्यरत एक अनुसंधान और विकास संगठन है।

10. मानकीकरण गतिविधि कार्यक्रम: मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एस.टी.क्यू.सी.) इलेक्ट्रॉनिकी संघटकों तथा उत्पादों की

गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए उद्योगों को परीक्षण, चिन्हांकन सेवाएं, प्रमाणीकरण सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करता है।

11. **इलैक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र** : इस सोसायटी का उद्देश्य इलैक्ट्रॉनिक्स उत्पाद डिजाइन में जनशक्ति को प्रशिक्षित करना, प्रौद्योगिकी विनिर्माण, इंजीनियरी तथा सूचना प्रौद्योगिकी का अनुरक्षण, उत्पाद विकास, संविदा अनुसंधान और परामर्शी सेवा, इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में उद्यमियों और डिजाइनरों का विकास; इलैक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए उद्योगों, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों और अकादमिक संस्थाओं के साथ पर्याप्त सम्पर्क बनाए रखना है।

12. **ए.एस.आई.सी.** डिजाइन के लिए विशेष जनशक्ति : इसका लक्ष्य 7 अनुसंधान केन्द्रों तथा 12 भाग लेने वाली संस्थाओं को शामिल करते हुए बी.ई./बी.टेक, एम.ई/एम.टेक और पी.एच.डी. स्तर पर वी.एल.एस.आई/डिजाइन और संबंधित साफ्टवेयर के क्षेत्रों में विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षण देना है।

13. **इलैक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान एवं विकास केन्द्र** : ईआरएंडडीसी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त सोसायटी है जिसकी तिरुवनंतपुरम, कोलकाता और नौएडा में तीन इकाईयाँ हैं तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सोसायटी का उद्देश्य भविष्य की प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान, अनुसंधान एवं विकास में वैश्विक निगम का पता लगाना तथा उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रयोजन उन्मुखी अनुसंधान एवं विकास, गुणात्मक निगम (अनुसंधान एवं विकास) तथा ईआरएंडडीसी कार्यकलापों के द्वारा प्रौद्योगिकी का इसकी महत्वपूर्ण ताकत के रूप में अनुसंधान एवं विकास संगठनों का दर्जा हासिल करने में सफल रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को आकर्षित किया है।

14. **साफ्टवेयर निर्यात के लिए जनशक्ति विकास** : इस कार्यक्रम का उद्देश्य बढ़ते हुए साफ्टवेयर निर्यात उद्योग को समर्थन करने के लिए और अपेक्षित विशिष्ट जनशक्ति का सृजन करना और सुदृढ़ करना है।

15. **फोटोनिक्स विकास कार्यक्रम** : इसका प्रमुख उद्देश्य फोटोनिक्स प्रौद्योगिकियों का विकास करना और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से प्रयोग करना तथा फोटोनिक्स के कतिपय चुनिंदा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक आधार का निर्माण करना है।

16. **परिवहन और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स** : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परिवहन, विद्युत सवितरण, जल प्रबंधन और लोक सुरक्षा सेवाओं जैसे ढांचगत क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता, उत्पादकता, ऊर्जा के संरक्षण, पर्यावरणात्मक प्रदूषण नियंत्रण और रोजगार उत्पादन को सुधारने के लिए तथा स्थानीय विशेषज्ञता तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का पूर्ण प्रयोग करते हुए भारत में एक आधुनिक ढांचगत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिकी के प्रयोग को बढ़ाना है।

17. **महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों का विकास** : इसका उद्देश्य रडार, नौवहन संचालन सहायता, सोनार, भूमिगत-जल, इलेक्ट्रॉनिकी प्रणालियों, डिजास्टर प्रबंधन प्रणालियों, भावी वायु नौसंचालन प्रणालियों, और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकी प्रणालियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास क्रियाकलापों का समर्थन करना है।

18. **शैक्षणिक अनुसंधान नेटवर्क (ई आर एन ई टी)** : इसका उद्देश्य कम्प्यूटर नेटवर्किंग और आंकड़ा संचार के क्षेत्र में उसे विश्व मानकों के प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करना और उसके लाभ राष्ट्रव्यापी शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय, उद्योग और कई तरह के प्रयोक्ताओं तक पहुंचाना है।

19. **ग्रामीण/सामाजिक/कृषि/जल क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिकी** : इसका उद्देश्य संस्थानों, परियोजनाओं, प्रयोगशालाओं, विभागों तथा साथ ही सामाजिक और ग्रामीण विकास में लगे गैर-सरकारी संगठनों के परामर्श से सामाजिक कल्याण, बंजर भूमि विकास, कृषि और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों आदि सहित ग्रामीण विकास से सम्बद्ध इलेक्ट्रॉनिकी के अनुप्रयोग से संबंधित परियोजनाओं, स्कीमों और कार्यक्रमों का पता लगाना है।

20. **स्वास्थ्य और जैव सूचना प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिकी** : इसका उद्देश्य चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देशी प्रौद्योगिकी का संवर्धन और उसका अनुप्रयोग करना है। संचार नेटवर्किंग, कम्प्यूटर मैथिंग, माइक्रोवेव हीटिंग के प्रयोगों जैसी इलेक्ट्रॉनिकी तकनीकों की व्यापक सीमा लागू करके स्वास्थ्य सम्बद्ध सेवाओं की गुणवत्ता के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

21. **तरल क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र** : इसका मुख्य उद्देश्य विनिर्माणकारी

प्रक्रिया को सुधारने और इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों के लिए उत्पादन बढ़ाने, पेट्रोल बंक प्रदर्शन करने, हवाईअड्डा और रेलवे स्टेशन प्रदर्शन करने और नए तरल क्रिस्टललाइन सामग्रियों, निम्न आण्विक भार और बृहत् आण्विक (पोलीमर) प्रणालियों दोनों, जो न केवल बुनियादी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, को सुधारने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिकी लि. के साथ सहयोग करना है। ए

22. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों सहित रोजगार सृजन** : इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों से सम्बद्ध शिक्षित युवकों के लिए रोजगार उत्पादन प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन करना है। इस योजना को सिद्धि सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित किया गया है।

23. **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर (ई.एस.सी.) और इलेक्ट्रॉनिकी निर्यात बाजार विकास कार्यक्रम** : इसका उद्देश्य बाजार अध्ययनों, विदेशों में बाजार आसूचना संग्रहित करने, प्रचार अभियान करने, विनिर्माताओं/व्यापारियों/पोतवणिकों के संगत सूचना को प्रचार-प्रसार करने, विभिन्न एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखने और विदेशी आयातकों की शिकायतों की जांच और पूछताछ करने आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं, कम्प्यूटर साफ्टवेयर और संबद्ध सेवाओं के निर्यातों की सहायता, सुरक्षा अनुरक्षण, वृद्धि और संवर्धन तथा अन्य उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिकी के उपयोग को बढ़ावा देना और विकसित करना है।

24. **अन्य कार्यक्रम** : इस व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी, विदेशी व्यापार तथा अन्य योजनाओं अर्थात् सीजी उद्योग का विकास, सेमीकन्डक्टर लेआउट अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सूचना कार्यक्रम तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पारिस्थितिकी विश्लेषण पर किया जाने वाला व्यय शामिल हैं।

25. **सहायता सामग्री और उपस्कर** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामग्री, उपस्कर और अन्य जिनसों के रूप में विदेशी सहायता दर्शाई गई है।

26. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान** : सरकारी अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय योजना आवंटन की 10% राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए योजनाओं का अनुमान लगाने तथा उसके लाभार्थ निर्धारित किया जाना है।

27. **सामुदायिक सूचना केन्द्र (सी.आई.सी.)** : सूचना प्रौद्योगिकी तथा इसके प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के 466 ब्लकों में सामुदायिक सूचना केंद्र की स्थापना करने का महत्वाकांक्षी कार्य आरम्भ किया है। अन्य 40 ऐसे केंद्रों की स्थापना सिक्किम में की जाएगी।

28. **इलेक्ट्रॉनिकी अभिशासन** : सरकारी आन्तरिक कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए और इसकी सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु नागरिकों तथा व्यवसायियों के साथ पारस्परिक क्रिया को सुधारने के लिए वर्धित विस्तृत सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां (आईसीटी) हैं। इसका लक्ष्य भेदन नीतियों का पता लगाकर, सेवा सुपुर्दगी को सुधारकर, लागत में कमी करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पुनःपरिभाषित करके सरकार के नए स्वरूप को पुनः खोजने के चालू प्रयासों से परे पहुंचना है। इसके लक्ष्य में वहनीय लागत पर संयोजन और पहुंच के लिए देशभर में बुनियादी न्यूनतम आधार ढांचे के प्रावधान को सुनिश्चित करना भी शामिल है।

29. **भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल)** : इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के औजार तथा तत्व का विकास करना है ताकि भारत के लोगों को उनकी अपनी भाषाओं में कम्प्यूटरों और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के प्रयोग में सक्षम बनाया जा सके।

30. **ई-कामर्स तथा सूचना-सुरक्षा (स्मार्ट कार्डों सहित) ई-कामर्स का उद्देश्य** देश में ई-कामर्स के लिए पूर्णतः वैधानिक एवं विनियामक ढांचे की व्यवस्था करना और सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न गुणों व्यवसाय तथा वाणिज्य के लिए ई-कामर्स और इसके लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

31. **आईटी बिल/ प्रमाणन और नेटवर्क सुरक्षा** : तीन प्रमाणन प्राधिकारियों को इस वर्ष देश में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों को जारी करने हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है। इनमें राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, बैकिंग प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान संस्थान और टाटा परामर्शी सेवाएं शामिल हैं।

32. **भारत के साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क और ई.एच.टी.पी.** : एसटीपीआई सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक पंजीकृत सोसायटी है। इसकी स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात के क्षेत्र में संवर्धनात्मक कार्यकलापों के माध्यम से भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की

गई है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार की विभिन्न निर्यात-मुखी स्कीमों के प्रचालन, कार्यान्वयन और अनुवीक्षण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

33. मीडिया लैब एशिया: मीडिया लैब एशिया अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए समर्पित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यम में महान चुनौतियों को पूरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी 10-वर्षीय योजना है। मीडिया लैब एशिया की भूमिका, उन आविष्कारों, पुनःआशोधन, और नवीन खोजों का प्रचार-प्रसार सुविधाजनक बनाना है, जो सर्वसाधारण को लाभ पहुंचाते हैं। मीडिया लैब एशिया इन नवीन खोजों को भारत के प्रत्येक गांव में लाने के लिए उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों और सरकार के साथ कार्य करेगा। मीडिया लैब एशिया की सफलता की कुंजी सतत बने रहने योग्य, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तल विकसित करने के लिए भारतीय उद्यमियों की सृजनात्मकता को विश्वविद्यालयों की तकनीकी जानकारी से जोड़ना होगी। विशिष्ट चुनौतियों में कई विभिन्न भाषाओं में कार्य करने की आवश्यकता और स्थानीय संस्कृति और परम्परा को समर्थन देने की आवश्यकता शामिल है।

34. जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (सिटीजन पोर्टल सहित) : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर एक कार्य दल की स्थापना की थी। कार्य दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इस कार्य दल ने वर्ष 2008 तक कम से कम 100 मिलियन इन्टरनेट कनेक्शन देने और पूरे देश की सम्पूर्ण लंबाई और चौड़ाई को कवर करते हुए 1 मिलियन इन्टरनेट समर्थकारी सूचना प्रौद्योगिकी किओस्क/साइबर कैफे स्थापित करने का शानदार लक्ष्य निर्धारित किया है।

35. प्रोत्साहन/सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में अनुसंधान तथा विकास/विशेष सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं : विशेष आईटी प्रौद्योगिकी परियोजना प्रभाग का उद्देश्य भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बहु-शिक्षण प्रभावों के आगमन को मजबूती प्रदान करना है। विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाएं तथा विशेष प्रोत्साहन योजनाओं को संक्रेन्द्रित क्षेत्रों में जनशक्ति तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। इन चुनिंदा क्षेत्रों में कार्रवाई करने हेतु सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए (जिसमें वित्तीय सहायता भी शामिल है) विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी।

36. विद्या वाहिनी और ज्ञान वाहिनी : यह नया कार्यक्रम प्रभावी शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रणाली की स्थापना को सुनिश्चित करने और कक्षाओं में प्रौद्योगिकी लाने

के लिए उच्चतर प्रशिक्षण संस्थाओं का संयोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम रखने के लिए वर्ष 2002-2003 में शुरू किया गया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में संयोजन के लिए और उच्चतर प्रशिक्षण संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी आधार ढांचे के उन्नयन के लिए क्रमशः दो विशेष कार्यक्रम अर्थात् "विद्या वाहिनी" और "ज्ञान वाहिनी" नेटवर्क शुरू किए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक स्कूल और शिक्षण संस्था में एकीकृत वॉयस, डाटा और वीडियो नेटवर्क स्थापित करना है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपेक्षित सूचना का प्रबंधन करने और संप्रेषण करने के लिए बहुपक्षीय बुनियादी कौशल और सक्षमता प्राप्त कर सके।

37. सूचना प्रौद्योगिकी उपक्रम पूंजी: यह विभाग के अन्य कार्यक्रम में शामिल अनवरत कार्यक्रम है।

38. डीओईएसीसी : डीओईएसीसी देश में कम्प्यूटर शिक्षा सहित तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी (पूर्व में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार का एक संयुक्त सांविधिक निकाय है। इस योजना को डीओईएसीसी सोसाइटी द्वारा प्रशासित किया जा रहा है जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार मंत्रालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार का स्वायत्तशासी निकाय है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गैर-औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों में उपलब्ध सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना के उपयोग द्वारा अर्हता प्राप्त जनशक्ति का निर्माण करना है।

39. डिजिटल डीएनए पार्क : यह बराबर महसूस किया जा रहा है तथा इस बात को व्यापक मान्यता मिल रही है कि 21वीं सदी सूचना प्रौद्योगिकी तथा जीवन विज्ञान की सदी होगी। जैव प्रौद्योगिकी निरन्तर विकास की दिशा में बढ़ रहा एक क्षेत्र है और इस उद्योग में सफलता का तात्पर्य हमारे द्वारा विश्व बाजार में लाभ उठाना है। भारत ने पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने में अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। कई उद्यमी इन शक्तियों का उपयोग जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रविष्ट होने हेतु कर रहे हैं। जैव-प्रौद्योगिकी-डीएनए पार्कों को उद्यमशीलता को प्रोत्साहन प्रदान करने, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए विकसित किया जाएगा।